छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्

छठवी मंजिल, टॉवर "सी", कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सी.बी.डी
सेक्टर– 21, अटल नगर, रायपुर (छ.ग), 492002
website- www.markfed.cg.nic.in Email.id ; mf_ctrlroom_raipur@gov.in

क्र./विप./परि.निवि./एफ–5/3072/2018 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 22.09.2018

खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 में धान/खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री, बारदाना परिवहन निविदा एवं रैक हैण्डलिंग निविदा हेतु संशोधित सूचना

विपणन संघ के धान संग्रहण केन्द्रों में धान/खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री, बारदाना परिवहन निविदा एवं रैक हैण्डलिंग निविदा कार्य हेतु निविदा के संबंध में प्री बीड दिनांक 17.09.2018 को विपणन संघ मुख्यालय में आयोजित की गई थी। निविदा के संबंध में प्राप्त आवेदनों के परीक्षण पश्चात निविदा की शर्तो में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

1. खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 में परिवहन कार्य हेतु निम्नानुसार अनुभव अनिवार्य है :–
   - शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय एवं अन्य संस्थानों जिसमें (खाद्यान्न, बारदाना एवं खाद्यान्न से संबंधित वस्तुओं आदि का परिवहन किया गया हो) विगत तीन वर्षो में से किन्ही दो वर्षो में (प्रत्येक वित्तीय वर्ष में) 25 लाख तक के परिवहन कार्य का अनुभव से संबंधित प्रमाण–पत्र/दस्तावेज।
   - शासकीय/अर्द्वशासकीय संस्था के लिए संबंधित संस्था से परिवहन कार्य संबंधित वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण पत्र।
   - अन्य संस्थानों से संबंधित प्रमाण पत्र हेतु निविदाकर्ता को सी.ए द्वारा प्रमाणित (परिवहन कार्य का वार्षिक टर्न ओवर दर्शाते हुए प्रमाण पत्र)
   - यह दोनो प्रमाण पत्र फर्म के संबंधित वर्ष के बैक स्टेटमेट पर आधारित होगे तथा यह बैंक स्टेटमेंट प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जावेगा।

जिले का नाम	कार्यानुभव राशि
रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ	25 लाख
कांकेर, जगदलपुर, कवर्धा, मुंगेली, सुरजपुर, अंबिकापुर	5 लाख
कोरबा, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया, नारायणपुर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर	2 लाख

2. निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं की कंडिका 1.3 की कंडिका 2 में रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ जिले के निविदाकार के पास स्वयं के कम से कम पांच ट्रक के रजिस्ट्रेशन एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी वाहन का विवरण की सत्यापित प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। जिसे संशोधित करते हुए पांच ट्रक कें स्थान पर दस ट्रक किया जाता है।
3. धान उठाव के समय ट्रकों के लोडिंग में लगने वाले समय की निगरानी करने हेतु एन. आई.सी. द्वारा विशेष मोबाईल एप्लीकेशन विकसित किया जा रहा है। प्रत्येक परिवहनकर्ता को अनिवार्य रूप से स्मार्ट फोन/टैबलेट में उक्त ऐप को डाउनलोड करना होगा।

उपार्जन केन्द्र एवं संग्रहण केन्द्र में ऐप के माध्यम से धान उठाव में वाहनो को धान परिदान हेतु आने–जाने के समय पर नियंत्रण रखा जावेगा। उक्त एप्लीकेशन का उपयोग अनुबंधित परिवहनकर्ता को करना अनिवार्य होगा।

4- खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 में बारदाना परिवहन निविदा हेतु निर्धारित अमानत एवं सुरक्षा निधि को संशोधित किया गया है, प्रति संग्रहण केन्द्रवार अमानत एवं सुरक्षा निधि की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 में बारदाना परिवहन कार्य हेतु निर्धारित अमानत एवं सुरक्षानिधि राशि (प्रत्येक संग्रहण केन्द्र हेतु पृथक–पृथक) का विवरण

क.	जिले का नाम	बारदाना परिवहन हेतु निर्धारित अमानत राशि प्रत्येक संग्रहण केन्द्र हेतु पृथक–पृथक (लाख रूपये में)	बारदाना परिवहन हेतु निर्धारित सुरक्षा निधी की राशि प्रत्येक संग्रहण केन्द्र हेतु (लाख रूपये में)
1	रायपुर	2.5	2.5
2	बलौदाबाजार	2.5	2.5
3	गरियाबंद	2.5	1.25
4	धमतरी	2.5	2.5
5	महासमुंद	2.5	2.5
6	दुर्ग	2.5	2.5
7	बालोद	2.5	2.5
8	बेमेतरा	2.5	1.25
9	राजनांदगांव	2.5	2.5
10	कबीरधाम (कवर्धा)	1.25	1.25
11	बिलासपुर	2.5	2.5
12	मुंगेली	1.25	1.25
13	कोरबा	0.13	1.25
14	जांजगीर	2.5	2.5
15	रायगढ़	2.5	2.5
16	जशपुर	0.13	0.25
17	अंबिकापुर	2.5	1.75
18	सूरजपुर	1.25	1.25
19	बलरामपुर	0.13	0.25
20	कोरिया	0.13	0.25
21	कांकेर	2.5	2.5
22	जगदलपुर	2.5	2.5
23	नारायणपुर	0.13	0.25
24	कोण्डागांव	0.13	0.25
25	दंतेवाड़ा	0.5	0.5
26	सुकमा	0.13	0.25
27	बीजापुर	0.13	0.25

28/9/18

महाप्रबंधक (विप)